इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 2017—पौष 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. 642-5-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा २० का संशोधन.
४. धारा ५० का संशोधन.
५. धारा ५६ का संशोधन.
६. विधिमान्यकरण.
७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह २६ अप्रैल, १९७३ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(छ) ''विकास योजना'' से अभिप्रेत है, धारा १८ तथा १९ के अधीन तैयार तथा क्रियान्वयन में लाई गई योजना;'';

(दो) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ण-१) ''भूखण्ड'' से अभिप्रेत है, एक निश्चित आकृति तथा आकार का भूमि का कोई टुकड़ा तथा संचालक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हो;''.

धारा २० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २० इसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई परिक्षेत्रिक योजना उपधारा (१) के अधीन तैयार नहीं की जाती है, वहां पूर्व अधिसूचित और क्रियान्वित या क्रियान्वित की जा रही या अधिसूचित और क्रियान्वित की जाने वाली नगर विकास योजनाओं के लिए अध्याय-सात के अधीन उपबंधित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन नगर विकास योजना के अनुसार किया जा सकेगा.''.

धारा ५० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५० में,—

(एक) उपधारा (४) में, शब्द ''तथा उपधारा (५) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्'' का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (५) और (६) को विलोपित किया जाए.

धारा ५६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में विद्यमान परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान, पर कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु यह और भी कि भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए किसी भी समय पर की गई कोई कार्यवाही या इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी भू-अर्जन कार्यवाही में पारित किसी पंचाट को इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या पारित किया गया पंचाट समझा जाएगा.''.

विधिमान्यकरण.

६. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों तथा पारित किए गए आदेशों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे विधिमान्यतः की गई हैं या विधिमान्यतः पारित किए गए हैं मानो कि उक्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के किए जाने तथा ऐसे आदेशों के पारित किए जाने के लिए सुसंगत संशोधित उपबंधों के अधीन विधिमान्यतः सशक्त किए गए थे और किसी भी ऐसी बात, कार्यवाही, कार्रवाई या आदेश की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मूल अधिनियम में इस निमित्त समर्थकारी उपबंधों के बिना समस्त बातें, कार्यवाहियां और कार्रवाइयां की गई थीं और आदेश पारित किए गए थे.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

७. (१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. -5-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) ADHINIYAM, 2016.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 20.
4. Amendment of Section 50.
5. Amendment of Section 56
6. Validation.
7. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and its validation with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force from 26th April, 1973.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, of 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) "development plan" means a plan prepared and brought into operation under sections 18 and 19;";

(ii) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

"(o-1) "plot" means any piece of land having a definite shape and size, and duly approved by the Director;".

Amendment of Section 20.

3. Section 20 of the Principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, where a zonal plan is not prepared under sub-section (1), the powers and functions provided under chapter VII may be exercised and performed for the town development schemes already notified and implemented or being implemented, or to be notified and implemented in accordance with the development plan.".

Amendment of Section 50.

4. In Section 50 of the principal Act,—

(i) in sub-section (4), the words "and after considering the report of the committee constituted under sub-section (5)" shall be omitted;

(ii) sub-sections (5) and (6) shall be deleted.

Amendment of Section 56.

5. In Section 56 of the principal Act, in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following Proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that any proceedings undertaken at any point of time for compulsory acquisition of land or any award passed in any land acquisition proceeding undertaken as per the provisions of this Section, it shall be deemed to be proceedings undertaken under this Act or award passed under this Act.".

Validation.

6. Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of a court, all things done, proceedings and actions taken and orders passed by the competent authority under the relevant provisions of the principal Act as amended by this Amendment Act shall be and shall be deemed always to have been validly done, taken or passed as if the said competent authority were validly empowered under the relevant amended provisions before such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed and the validity of such thing, proceeding, action or order shall not be called into question in any court of law or before any authority whatsoever merely on the ground that such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed without the enabling provisions in this behalf in the principal Act.

Repeal and Saving.

7. (1) The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhyadesh, 2016 (No. 3 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.